

I/376698/2023

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism prupose b/w CH. 88+690 to 88750 Khasra No.2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garhmukteswar Distric Hapur हेतु 0.048 हेO संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3226/81-2-2023-800(117)/2023 दिनांक 23 अगस्त 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 28-08-2023 15:11:35

Reason: Approved
()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

Jun 17, 2022, 01:18



I/376699/2023

संख्या-3226/81-2-2023-800(117)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त 2023

विषय- जनपद हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism prupose b/w CH. 88+690 to 88750 Khasra No.2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garhmukteswar Distric Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का विना वृक्ष की अनुमति के सम्वन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2868/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 06.03.2023, पत्र संख्या-4021/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 23.06.2023 एवं पत्र संख्या-284/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 02.008.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism prupose b/w CH. 88+690 to 88750 Khasra No.2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garhmukteswar Distric Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का विना वृक्ष की अनुमति से सम्वन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 28-08-2023 15:11:01

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव।संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग हापुड।
4. प्रोपराईटर महादेव पिकनिक स्पाट इको टूरिज्म परपच गढ़वांगर हापुड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।

Jun 17, 2022, 01:18

